

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)  
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्थान प्रार्थना-पत्र संख्या : 100 / 2024

निर्णय दिनांक : 22.12.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 217

दायर दिनांक - 08.10.2024

खिराजा राम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश विस्सू एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।

--:निर्णय:-

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम कानूता का स्थाई निवासी है जिनके रोही कानूता में खेत खाता संख्या 221 के खसरा संख्या 467 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 824/466 तादादी 5.4120 हैक्टेयर व खसरा संख्या 933/826 तादादी 0.3034 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खेराज पुत्र प्रेमराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि में खिराजा राम पुत्र पेमा राम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

निर्णय  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम खिराजा राम पुत्र पेमा राम दर्ज है। खेराज व खिराजाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजरव रिकॉर्ड में खिराजाराम पुत्र पेमराम किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम खिराजाराम पुत्र पेमराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


#### आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 221 के खसरा संख्या 467 तादादी 1.3150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 824/466 तादादी 5.4120 हैक्टेयर व खसरा संख्या 933/826 तादादी 0.3034 हैक्टेयर वाले रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार खेराज पुत्र पेमराम जाति मेघवाल निवासी कानूता खातेदार के स्थान पर खिराजाराम पुत्र पेमराम जाति मेघवाल निवासी कानूता खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अध्यक्ष (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़